उनकी सेवाए वर्तमान मे बल्लभगढ़ (हरियाणा) मे स्थित ग्रामीण परियोजना, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र (गाज़ियाबाद), एन सी आई झज्जर तथा संस्थान द्वारा भविष्य मे खोले जाने वाले किसी भी अन्य केंद्र मे स्थानांतरीय है। उन्हे शिफ्ट मे सेवा देने के लिए भी कहा जा सकता है।

Their services are transferable to the other centre facilities presently located at Ballabhgarh (Haryana), National Drugs Dependency Treatment Centre (Ghaziabad), National Cancer Institute, Bhadsa, Jhajjar and at any other centre/facilities which may come up in future. They can be asked to perform duties in shifts also.

वे दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि के दौरान उन्हें संतोषजनक सेवाएँ प्रदान करना अपेक्षित हैं जिसमे असफल रहने पर उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कोई नोटिस दिये अथवा बिना कोई कारण बताए प्रत्यावर्तित कर दी जाएंगी।

They will be on probation for a period of two years. During the period of probation they will be required to put in satisfactory service failing which their services will be liable to be reverted at any time without any notice or reason being assigned for the same.

कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक के पद पर पदोन्नति की पेशकश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित एस. एल. पी. के परिणाम या इस संबंध में डी.ओ.पी.टी. से जारी किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है।

The offer of promotion to the post of Junior Administrative Assistant is subject to outcome of the SLP pending before the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.

उनकी सेवा की अन्य शर्तें जोकि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू हैं ,पूर्वानुसार ही रहेंगी।
Other terms and conditions of their service will be the same as are applicable to other employees of the Institute.

(विश्वेश चतुर्वेदी / VISHWESH CHATURVEDI)
प्रशासनिक अधिकारी/ADMINISTRATIVE OFFICER

संबंधित व्यक्ति/Persons concerned
[Through:- उनके संबंधित ऑफिसर इनचार्ज / Their respective officer In-charge]

<u>प्रतिलिपि/Copy to</u>:-

1) संकाय अध्यक्ष, परीक्षा अनुभाग /Dean, Examination Section
2) प्रमुख, - डॉ बी.आर.ए.आई. आर.सी. एच./ Chief, Dr. BRAIRCH
3) चिकित्सा अधीक्षक (ह) /Medical Superintendent (H)
4) वरिष्ठ भंडार अधिकारी (नि का) / Sr. Stores Officer (DO)
5) स्थापना अनुभाग- नि.का/ अस्पताल विभाग/ डॉ बी.आर.ए.आई. आर.सी. एच.
   Establishment Section – D.O./Hospital//Dr. BRAIRCH
6) लेखा अनुभाग–II एवं III/अस्पताल/ डॉ बी.आर.ए.आई. आर.सी. एच /Accounts Section II & III/Hospital/Dr. BRAIRCH
7) सामान्य अनुभाग / सम्पदा अनुभाग / विधि प्रकोष्ठ / सामान्य भविष्य निधि अनुभाग / सतर्कता प्रकोष्ठ
   General Section / Estate Section / Legal Cell / GPF Section / Vigilance Cell
8) वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रकोष्ठ/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ एवें महिला प्रकोष्ठ / इ एच एस प्रकोष्ठ/ संरक्षण मिसिल// ACR's Cell /SC/ST / OBC/Women Cell / EHS Cell/ Guard File
9) प्रोफेसर इंचार्ज, कंप्यूटर सुविधा – कृप्या इस कार्यालय आदेश को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करें
   Professor-in-charge Computer Facility - kindly upload the same on the Institute website

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
[भर्ती प्रकोष्ठ / RECRUITMENT CELL]

सं.मि-2.12/2018-स्था. (भर्ती)
No.F.2-12/2018-Estt.(RCT)

अंसारी नगर ,नई दिल्ली- 29
Ansari Nagar, New Delhi-29
दिनांक / Dated : 09 JUN 2023

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

विषय : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ,नई दिल्ली में **कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक** (सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धा परीक्षा द्वारा 20 %की प्रणाली के तहत के पद पर पदोन्नति ।

Subject:- Promotion to the post of Junior Administrative Assistant (under mode of 20% by Limited Departmental Competitive Examination) at the AIIMS, New Delhi.

****

दिनांक 12.03.2023 को **कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक** पद हेतु आयोजित सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम अधिसूचना सं 77/2023 दिनांक 22.05.2023 के परिणामस्वरूप और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरांत, निम्नलिखित पदाधीकारियों को पे मेटरिक्स के लेवल-2 मे **कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक** के पद पर स्थापना अनुभाग (भर्ती प्रकोष्ठ) मे पदभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किया जाता है: -

Consequent upon their qualifying the Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) held on 12.03.2023 vide Result Notification No.77/2023 dated 22.05.2023 and its acceptance by the Competent Authority, the following officials are promoted to the post of Junior Administrative Assistant in the Level-2 of pay matrix from the date they assume the charge of the post of **Junior Administrative Assistant in the Establishment Section (Recruitment Cell)**:-

Sr. No.	Name	Category	Considered against the category	Department / Section
1.	श्रीमती गीता / Smt. Geeta	Gen.	UR	परीक्षा अनुभाग /Examination Section
2.	श्री सुभाष / Sh. Subhash	SC (On Merit)	UR	डॉ बी.आर.ए.आई. आर.सी. एच/ Dr. BRAIRCH
3.	श्री राजेंदर सिंह राणा / Sh. Rajendar Singh Rana	Gen.	UR	मुख्य मेडिसिन स्टोर (ह) Main Medicine Store (H)

तदनुसार, वे अपने वर्तमान विभाग/पोस्टिंग के जगह से कार्यमुक्त होकर स्थापना अनुभाग (भर्ती प्रकोष्ठ) मे रिपोर्ट करे

Accordingly, they may get relieved from their present department/place of posting and report for joining in the Establishment Section (Recruitment Cell)

वे सभी दिल्ली/नई दिल्ली / एन.सी.आइ./ बाढ़सा ,झज्जर ,एन.डी.डी.टी.सी ,.गाज़ियाबाद वर्तमान में बल्लबगढ में स्थित रुरल केन्द्रों या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्तों के हकदार होंगे।

They will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of their status stationed at Delhi/New Delhi/in the rural center presently located at Ballabhgarh (Haryana), NDDTC, Ghaziabad, Outreach OPD, Jhajjar, Haryana and at any other centre opened by the Institute in future.

उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे इस कार्यालय आदेश के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ.आर.22(1) के अंतर्गत पदग्रहण करने की तिथि अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तिथि से निर्धारित करने का विकल्प चुने बशर्ते उन्हें आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नति प्रदान नहीं किया गया ।

They are advised to exercise their option for fixation of their pay under FR-22(I) either from the date of their promotion to the post or from the date of drawl of their next increment in the present post within one month from the date of issue of this office order, provided they have not been granted financial up-gradation under ACP/MACP Scheme

Contd..2..